हरियाणा सरकार का राजपत्र

प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित

हरियाणा सरकार

क्रमांक 24-20241 चंडीगढ़, मंगलवार, जून 11, 2024 (जय आस्था 21, 1946 शक)

भाग ---- पहला

हरियाणा सरकार द्वारा अधिसूचनाएं, आदेश एवं घोषणाएं

हरियाणा सरकार

खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

3 जून, 2024

संख्या एफजी-1-83-2024/8332, जबकि, सेवाओं या लाभों या सब्सिडी के वितरण के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी वितरण प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है, और लाभार्थियों को अपनी पहचान साबित करने के लिए कई दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करके सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से सीधे अपने अधिकार प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

और जबकि, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा, सरसों तेल वितरित करने के लिए अंत्योदय आहार योजना का संचालन कर रहा है, जिसे खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

और जबकि, इस योजना के अंतर्गत, एएवाई और बीपीएल परिवारों को दो लीटर सरसों का तेल दिया जाता है। कार्यान्वयन एजेंसी में मौजूदा योजना दिशानिर्देशों के अनुसार।

और जबकि, उपरोक्त योजना में हरियाणा सरकार की संचित निधि से आवर्ती व्यय शामिल है।

अब, इसलिए, आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 7 के अनुसरण में, हरियाणा सरकार निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात्:

1. (1) योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति को आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा या आधार प्रमाणीकरण से गुजरना होगा।

(2) योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, योजना के लिए पंजीकरण करने से पहले आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, बशर्ते कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो, और ऐसे व्यक्ति आधार के लिए नामांकन कराने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध सूची) पर जाएंगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपने कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना अपेक्षित है जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं हैं और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र स्थित नहीं है, तो विभाग अपने कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर यूआईडीएआई के मौजूदा रजिस्ट्रार के साथ समन्वय करके सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा।

बशर्ते कि जब तक व्यक्ति को आधार नहीं सौंप दिया जाता है, तब तक योजना के अंतर्गत लाभ ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्यधीन दिया जाएगा, अर्थात:-

(क) यदि उसने नामांकन कराया है, तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची, और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात्

(1) राशन कार्ड; या

(आईआई) परिवार पहचान पत्र (पीपीपी)/ फैमिली आईडी

(iii) विभाग द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

बशर्ते कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा उस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से नामित अधिकारी द्वारा की जा सकेगी।

2. योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को सुविधाजनक ढंग से लाभ प्रदान करने के लिए, विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करेगा ताकि लाभार्थियों को उक्त आवश्यकता के बारे में जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जा सके।

3. ऐसे सभी मामलों में, जहां लाभार्थियों के खराब बायोमेट्रिक्स या किसी अन्य कारण से आधार प्रमाणीकरण विफल हो जाता है, निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाए जाएंगे, अर्थात:-

(क) फिंगरप्रिंट की खराब गुणवत्ता के मामले में, प्रमाणीकरण के लिए आईरिस स्कैन या चेहरा प्रमाणीकरण सुविधा को अपनाया जाएगा, जिसके तहत विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से लाभ की निर्बाध डिलीवरी के लिए फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण के साथ-साथ आईरिस स्कैनर या चेहरा प्रमाणीकरण की व्यवस्था करेगा:

(ख) यदि फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन या चेहरे के प्रमाणीकरण के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सफल हो जाता है, तो जहां भी संभव हो और सीमित समय की वैधता के साथ आधार वन टाइम पासवर्ड आधारित । समय-वन-टाइम पासवर्ड द्वारा प्रमाणीकरण स्वीकार्य हो, जैसा भी मामला हो, पेश किया जाएगा:

(ग) अन्य सभी मामलों में जहां बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन टाइम पासवर्ड प्रमाणीकरण संभव नहीं है, योजना के तहत लाभ भौतिक आधार पत्र के आधार पर दिया जा सकता है जिसकी प्रामाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रतिक्रिया कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और त्वरित प्रतिक्रिया कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था विभाग द्वारा अपने कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर की जाएगी।

4. उपर्युक्त के अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना के अंतर्गत कोई भी वास्तविक लाभार्थी अनुचित लाभ से वंचित न रहे, विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से डीबीटी मिशन, कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार के दिनांक 19 दिसंबर 2017 के कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित अपवाद प्रबंधन तंत्र का पालन करेगा।

5. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

डॉ। सुमिता मिश्रा
अतिरिक्त मुख्य सचिव, सरकार, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

चंडीगढ़: 28
मई, 2024